


आनन्दीलाल भाटी बनाम नगर सुधार न्यास, अजमेर व अन्य

नगरानी/यूआईटी/नं०/1034/2020

नगर सुधार  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए।

तारीख हुकम	हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थी अधि०- अजीत सिंह राठौड अप्रार्थी संख्या 1 : आकाश पारीक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
11-04-22	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 1033/2020 व 1038/2020 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाक्ता दीवानी वास्ते निरस्त फरमाये जाने के आधार पर निगरानी पर उभय पक्ष को सुना गया।</p> <p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस तथा पत्रावली में उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.1993 प्रकरण संख्या 150/93 दुकान संख्या 13 व 14 का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह निगरानी अन्तर्गत नियम 30 नगर सुधार न्यास (नगरीय क्षेत्र भूमि निष्पादन) नियम 1974 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो कि धारा 6 नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रूपान्तरण एवं विनियमितिकरण नियम 1981 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 से संबंधित होने से इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध चाराजोही अन्य राजस्व न्यायालय में संधारण योग्य है। इस पर अपीलान्त अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं की है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह मूल पत्रावली मय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर की मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर को भिजवाया जावे। प्रकरण इसी स्तर पर पर निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी दिनांक <u>27-06-22</u> को राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष न्यायालय में चाराजोही हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सभागीय आयुक्त</b>  <b>अजमेर</b> </p>	